उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 992–पारे0अनु0–04 / पाट्राकालि–2021–18 / 14 टी0सी0 दिनांकः 11 नवम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.10.2021 को सम्पन्न बैठक के बिन्दु संख्या–78(16) पर दिये गये निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–634–कार्य / चौदह–पाकालि / 2021–29–के / 1983, दिनांक 09.04.2021 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–1499–कार्य / चौदह–पाकालि / 2021–29–के / 1983, दिनांक 13.09.2021 को उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में अंगीकृत करते हुये उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में उत्पादों एवं सेवाओं हेतु आमंत्रित निविदाओं में प्रतिभाग करने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSE's) को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते है :–

1. प्राइस मैचिंग का विकल्प :–

1.1 यदि टेण्डर में एल–1 आफर देने वाली फर्म उत्तर प्रदेश में स्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से इतर है (अर्थात मध्यम या वृहद् फर्म है) और किसी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के द्वारा एल–1 आफर के मूल्य के 15 प्रतिशत की सीमा तक अधिक मूल्य अंकित किया गया है तो ऐसी दशा में उक्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (या एक से अधिक ऐसे उद्यमों की दशा में 15 प्रतिशत बैण्ड में स्थित सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों) को यह अधिकार होगा कि वे अपने मूल्य को एल–1 स्तर पर लाकर कुल निविदा मूल्य के 25 प्रतिशत तक की सीमा तक आपूर्ति कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विभाग या उपक्रम द्वारा अनुमति दी जायेगी तथा आपूर्ति भी सुनिश्चित की जायेगी। एक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की दशा में उनसे ली जाने वाली आपूर्ति को उनके द्वारा निविदित मात्रा के आनुपातिक रूप में बांटा जायेगा।

1.2 टेण्डर के उपरान्त सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के पक्ष में निर्णय लेते समय गुणवत्ता के मानकों में किसी प्रकार की छूट संबंधित इकाइयों को नहीं दी जायेगी और इस आशय का उल्लेख टेण्डर में स्पष्ट रूप से अंकित भी किया जायेगा।

2. विभागीय क्रय में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से क्रय किये जाने हेतु आरक्षण :–

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं सहयोगी वितरण निगम आदेश निर्गत होने की तिथि से अपने अधीन प्रस्तावित कुल वार्षिक क्रय (उत्पाद एवं सेवाओं को सम्मिलित करते हुए) का न्यूनतम 25 प्रतिशत लक्ष्य उत्तर प्रदेश में स्थित सूक्ष्म और लघु उद्यम के उत्पादों या सेवाओं से क्रय द्वारा आपूर्ति करने के उद्देश्य से निर्धारित करेंगे। शर्त यह है कि यदि 25 प्रतिशत क्रय के लिये उत्तर प्रदेश में स्थित सूक्ष्म एवं लघु इकाई उपलब्ध नहीं है अथवा 25 प्रतिशत के लक्ष्य में कमी आती है, तो देश मे स्थित किसी भी सूक्ष्म एवं लघु इकाई से 25 प्रतिशत की पूर्ति की जायेगी।

3. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से क्रय किये गये उत्पादों एवं सेवाओं की आपूर्ति में निम्नलिखित को भी गिना जायेगा :–

3.1 वृहद् उद्यमों को दिए गए क्रयादेशों के सापेक्ष उनके द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निर्गत उप संविदाओं के माध्यम से की गयी आपूर्ति।

3.2 उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम संघों की उप संविदाओं के माध्यम से की गयी आपूर्ति ।

(क्रमशः............2)

4. संव्यवहार लागत में कमी :–

व्यवसाय चलाने की संव्यवहार लागत में कमी लाने के उद्देश्य से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE's) तथा स्टार्टअप्स को निम्नलिखित सुविधाएं दी जायेंगी :–

4.1 निविदा सेट निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
4.2 ई0एम0डी0 से छूट प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त जेम पोर्टल पर प्रचलित समस्त अनुबंधों में सफल निविदादाताओं से परफारमेन्स सिक्युरिटी 3 प्रतिशत ली जाएगी। यह व्यवस्था समस्त निविदाओं के लिये निम्नलिखित प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगी :–

ऐसे अनुबन्ध जो पहले से ही आर्बीट्रेशन/मा० न्यायालय के विचाराधीन है, उनको इसका लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि परिस्थितिवश कुछ मामलों में परफारमेन्स सिक्युरिटी 3 प्रतिशत से अधिक लेना आवश्यक है, तो सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही अनुबन्ध को अंतिम रूप दिया जायेगा तथा अपवाद के औचित्यपूर्ण कारणों को स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त, उपरोक्त प्राविधान भविष्य की सभी उत्पादों एवं सेवाओं हेतु आमंत्रित निविदाओं में लागू होंगें। ऐसी निविदायें, जो इस प्राविधान के सम्मिलित किये बिना आमंत्रित की गयी है एवं जिनका निविदा भाग–1/निविदा भाग–2 खोल दिया गया है, परन्तु सक्षम कय/कार्य समिति द्वारा निर्णित नहीं की गयी है, को निरस्त कर इस प्रावधान को सम्मिलित कर निविदा पुनः आमंत्रित की जायेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या– 992(I)–पारे0अनु0–04/पाट्राकालि/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
7- संयुक्त सचिव (पारेषण–प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8- समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
10- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
11- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
12- अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.upptcl.org पर शीर्ष प्राथमिकता पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिल पाठक)
उप सचिव (पारेषण–तृतीय)